

भोपाल दिनांक 19/6/2012

क्रमांक एफ 13-11/2011/20-1: प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से उप संचालक, लोक शिक्षण के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 08.08.2011 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार प्रतीक्षा सूची/संभावित रिक्तियों/बंद लिफाफा खोले जाने के पश्चात् राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित प्राचार्य उमावि/ सहायक संचालकों को जिला शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (उप संचालक संवर्ग) के पद पर पदोन्नत करते हुए वेतनमान 15600-39100+ग्रेडे पे 6600 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई एवं स्थापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख कॉलम क 0 4 में दर्शाये गये जिले/संस्था में पदस्थ करता है:-

क्र.	नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति पश्चात नवीन पदस्थापना	प्रवर्ग	रिमार्क
1	2	3	4	6	5
1	श्री श्रीनिवास तिवारी	प्राचार्य शा.उत्कृष्ट उ. मा.वि. रीवा	जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर	अना.	संभावित रिक्तियों हेतु योग्य पाये जाने के कारण
2	श्री सुरेश प्रसाद त्रिपाठी	सहायक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल	जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन	अना.	संस्थित विभागीय जांच बिना किसी शास्ति के समाप्त होने के फलस्वरूप बंद लिफाफा खोले जाने के कारण
3	श्री परमज्जीत सिंह	प्राचार्य शा.उत्कृष्ट उ. मा.वि. श्योपुर	जिला शिक्षा अधिकारी अशोकनगर	अना.	प्रतीक्षा सूची में योग्य पाये जाने पर
4	श्री एस.के. भालेराव	प्राचार्य शा.उत्कृष्ट उ. मा.वि. खडवा	प्राचार्य डाईट खडवा	अना.	प्रतीक्षा सूची में योग्य पाये जाने पर
5	श्रीमती भावना दुवे	प्राचार्य शा.उत्कृष्ट उ. मा.वि. होशंगाबाद	जिला शिक्षा अधिकारी छरवा	अना.	प्रतीक्षा सूची में योग्य पाये जाने पर
6	श्री एस.के. पण्डवा	प्राचार्य शा.उत्कृष्ट उ. मा.वि. छिंदवाड़ा	जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट	अजा	संभावित रिक्तियों हेतु योग्य पाये जाने के कारण
7	श्री रामेश्वर खेडे	प्राचार्य शा.मा.का.वि. कम्पेल इन्दौर	जिला शिक्षा अधिकारी बडवानी	अजा	संभावित रिक्तियों हेतु योग्य पाये जाने के कारण

2/ पदोन्नत लोकसेवकों की वरिष्ठता विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार यथास्थान रहेगी।

3/ पदोन्नत लोकसेवकों को तत्काल प्रभाव से अपना पदभार ग्रहण करना होगा तथा जिसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा। पदोन्नत लोकसेवकों के नियुक्तानुसार केवल पदग्रहण काल की पावता होगी।

4/- इस पदोन्नति में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/जन जातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 व म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

*M. Pr. 19/6/2012*  
(एम. प्र. दाण्डे)

अवर सचिव

म.प्र.शारान,स्कूल शिक्षा विभाग,

भोपात,दिनांक 19/6/2012-

पृ0 क्रमांक एफ 13-11/2011/20-1  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा म.प्र.भोपाल
  2. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग इन्दौर
  3. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
  4. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर
  5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
  6. संबंधित कलेक्टर, जिला..... म.प्र.
  7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला..... म.प्र.
  8. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
  9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला..... म.प्र.
  10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, ..... म.प्र.
  11. संबंधित संस्था प्राचार्य.....
  12. संबंधित.....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. आर्डर बुक

*M. Pr. 19/6/2012*  
अवर सचिव

म.प्र.शारान,स्कूल शिक्षा विभाग

राकेश मुने

